1. **Case Reg. No. CRA/52/2022**

<u>न्यायालयः– अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, राघौगढ जिला गुना म.प्र.</u>

Case Reg. No. CRA/52/2022
Filing No. 1309/2022
CNR : MP0805-001437-2022
Filing Date 23-09-2022
Reg. Date 13-10-2022

मुकेश पुत्र लल्लू प्रजापति जाति प्रजापति आयु 28 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 24 बेरखेड़ी रूठियाई थाना धरनावदा तहसील राघौगढ़ जिला गुना म.प्र.

................अपीलार्थी/आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस थाना धरनावदा जिला गुना म.प्र.

. ...प्रतिअपीलार्थी/अनावेदक

27-10-2023

अपीलार्थी मुकेश सहित श्री संजय कुमार जैन अधिवक्ता उपस्थित।
प्रतिअपीलार्थी द्वारा श्री डी.के. पलिया अपर लोक अभियोजक।
प्रकरण आज अंतिम तर्क हेतु नियत है।

इसी प्रक्रम पर प्रकरण में फरियादी/आहत मांगीबाई की ओर से आज दिनांक को राजीनामा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320(5) दं.प्र.सं. के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर उसके प्रति किए गए अपराध धारा 325 भा.दं.सं. में राजीनामा करने की अनुमति दिए जाने की प्रार्थना की गई। आहत मांगीबाई को श्री राजेश मोगिया अधिवक्ता व्दारा पहचाना गया है।

फरियादी/आहत मांगीबाई को प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पर सुना गया।

फरियादी/आहत मांगीबाई की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320(5) द.प्र.सं. पर विचार किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि फरियादी/आहत मांगीबाई की अपीलार्थी/अभियुक्त व्दारा मारपीट कर फरियादी/आहत मांगीबाई को स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय व्दारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक आर.सी.टी. 1104/2016 निर्णय दिनांक 26.08.2022 अनुसार धारा 325 भा.दं.सं. के आरोप में दोषसिद्ध करते हुए उक्त धारा में अपीलार्थी/आरोपी मुकेश को छः माह के कठोर कारावास एवं 4500/–(चार हजार पांच सौ) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में एक माह का साधारण कारावास भुगताये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

प्रकरण में अपीलार्थी/आरोपी को विचारण न्यायालय द्वारा धारा 325 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध किया गया है, जो कि न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है। फरियादी/आहत मांगीबाई द्वारा अपीलार्थी/आरोपी से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी भय, दबाव, लोभ, लालच के राजीनामा करना व्यक्त किया है। अतः बाद विचार फरियादी/आहत मांगीबाई की ओर से प्रस्तुत आवेदन धारा 320(5) दं.प्र.सं. स्वीकार कर उसे अपीलार्थी/आरोपी से राजीनामा करने की अनुमति

प्रदान की जाती है।

इसी प्रक्रम पर फरियादी/आहत मांगीबाई तथा अपीलार्थी/आरोपी मुकेश की ओर से प्रस्तुत संयुक्त हस्ताक्षरित राजीनामा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320(1) द.प्र.सं. पर विचार किया गया। राजीनामा के संबंध में फरियादी/आहत मांगीबाई के राजीनामा कथन लिये गये है। फरियादी/आहत मांगीबाई व्दारा अपने राजीनामा कथन में यह व्यक्त किया है कि उसका अपीलार्थी/अभियुक्त से राजीनामा हो गया है और उनके मध्य अब मधुर सम्बंध स्थापित हो गए हैं। राजीनामा उसके व्दारा स्वेच्छापूर्वक बिना किसी भय, दबाव के किया गया है। उभय पक्ष अब अपने प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।

अतः प्रस्तुत राजीनामा विधि अनुकूल होने से बाद विचार स्वीकार किया जाता है। **अपीलार्थी/अभियुक्त मुकेश पुत्र लल्लू प्रजापति उम्र 28 साल निवासी वार्ड नंबर 24 बेरखेड़ी, काशीनगर रूठियाई पुलिस थाना धरनावदा जिला गुना म.प्र.** को फरियादी/आहत मांगीबाई के प्रति किए गए धारा 325 भा.दं.सं. के आरोप में राजीनामा के प्रभाव से **दोषमुक्त** किया जाता है।

फलस्वरूप उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी/आरोपी व्दारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है, विचारण न्यायालय व्दारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक आर.सी.टी. 1104/2016 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 26.08.2022 अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी/आरोपी व्दारा विचारण न्यायालय में धारा 325 भा.दं.सं. के अपराध के लिए जमा कराया गया अर्थदण्ड, पुनरीक्षण अवधि उपरान्त उसे वापस किया जावे।

अपीलार्थी/आरोपी के जमानत एवं मुचलके निरस्त किए जाते हैं तथा उसके जमानतदार को उन्मोचित किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस भेजा जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में अंकित कर प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सही/—
विजय कुमार शर्मा
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राघौगढ़
जिला गुना म.प्र.

VIJAY KUMAR SHARMA

Digitally signed by VIJAY KUMAR SHARMA
Date: 2023.10.27 05:43:08 +0530